तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.19	पत्रावली पेश हुई. वकुलाय फरिकैन उपस्थित, वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 65 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम घोड़ास परवार हल्का घोड़ास तहसील-माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित उक्त भूमि प्रार्थी के काश्त हेतु आने जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज्ञा बैल व पैदल आने-जाने हेतु रास्ता विपक्षी सं० 01 की आराजी नम्बर 63 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा मे से उतरी दिशा की मेड पर 30 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि वकील विपक्षी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट मे बताया गया कि आराजी नं. 63 से लगी पक्की सड़क M.D.R बागोर से माण्डल बनी होकर चालू है प्रार्थी की आराजी के 267 के दक्षिण तरफ आ. नं 263 रकबा 3.04 बिलानाम रास्ता है जो बिलानाम आ. नं. 266 से रास्ता 363 f दूरी पर जिसके बीच मे गै० मु० खड्डा 266 आता है इस गै.मु. खड्डे को मौके पर वर्तमान मे प्रार्थी लेवल कर रास्ते के विकल्प के रूप मे काम लिया जा रहा है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि आराजी सं. 65 मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नं. 63 से होकर ही रास्ता है अन्य कोई विकल्प नही है, जब कि विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि आराजी नं. 266 रास्ता दर्ज है इनके बीच आराजी नं. 267 से होकर आते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 12:17:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner